

शालीक

प्रमुख, प्राविधिक शिक्षा परिषद

नरवर प्रवेश सम्बन्ध

संख्या:- प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या:- दिनांक: 09/08/2021

वित्तीय विवरण

प्रमुख भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय माउलिख ओपन इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश/ क्षमता/ वृद्धि सहित अन्य मंडी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3034-SR COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 16KM, GWALIOR ROAD, AMBABAI, JHANSI-284419

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमव्यवहारी 1992, सेमेस्टर विनियमव्यवहारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 40000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 20000,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पत्रावली होने, और तदनुसार

कार्यकारी किया जाना आवश्यक होगा। गैर निर्धारण समिति द्वारा यदि संर 2021-22 हेतु गैर का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की सर्वोत्तम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (3090 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदन स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करवा होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी संर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविधियों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बने गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कृप्य होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की स्थापना यदि पी.जी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का है। उक्त विधिका रूप से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई कदम आकार किया जाता है तथा काम काट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश जारी किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को भुगानी होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कंडिशनलिंग परामर्श होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कंडिशनलिंग के माध्यम से अन्य संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित सर्वोत्तम आवेदन विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, राज-संज्ञा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेजिग कोलने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परतर्कित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, निर्माण उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और संस्था को इनकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति को मांगनी होगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-संज्ञा आदि के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ संस्था के वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, राज-संज्ञा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SR COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 16KM. GWALIOR ROAD,
AMBABAI, JHANSI-284419



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

प्राविधिक शिक्षा परिषद संख्या/सम्बद्धता/2022/10770

सम्बद्ध दिनांक: 15/12/2022

कार्यालय ज्ञापन

उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमैसी कालिदास और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2022-23 हेतु उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अर्थात प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 04/12/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान की संघीयता विस्तार/ पाठ्यक्रम का समतल बृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार में संस्थाओं को सम्बद्धता पत्र/संश्लेषण पत्र जारी किया गया। उक्त के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पै.एन.ए.ए. के पत्र संख्या संख्या 14-443/2022-ICTI/Approval Process 2022-2023/34795-89 दिनांक 03 नवंबर 2022 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत संस्थाओं में पूर्व में सुविधा समिती के निराकरण का विवरण एम्प्लॉयमेंट पर उपलब्ध करने हुए निर्णय के अंतर्गत सत्र 2022-23 हेतु संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान की जाती है कि प्राविधिक में संस्था के निरीक्षण के समय एम्प्लॉयमेंट का अभाव न होना।

संस्था का कोड एवं नाम : 3034-SR COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पै.एन.ए.ए. द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रदान की जा रही समतल
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड/पै.एन.ए.ए. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद पत्र: 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन 1992, विनियमन 2000, एम्प्लॉयमेंट विनियमन 2016 तथा समतल-समय पर नियत शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 20100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पारमैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पारमैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक अवसर पर प्राप्त किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट में शुल्क के समतल में समतल-समय पर पालन द्वारा निर्धारित शर्तें उक्त संस्था को संसाधन प्रदान करेगी, और तदनुसार कर्मचारी कक्षाओं का आगमन होगा। तीन वर्षीय समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीकरित दरें जारी होगी।
- ✓ संस्था से संबंधित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समतल-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करवा देना।

उत्पन्न द्वारा प्रेषण करने द्वारा बसने एवं विधि/निष्पत्ति/उपनिष्पत्ति/साक्षात्कार/निर्देशों एवं विवरण, प्रतियोगिता द्वारा, संयुक्त प्रेषण प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है।

इस संदर्भ में सार्वजनिक विवरण द्वारा प्रेषण प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है।

- ✓ संयुक्त प्रेषण प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है।
- ✓ उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है।
- ✓ संयुक्त प्रेषण प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है।
- ✓ संयुक्त प्रेषण प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है।
- ✓ संयुक्त प्रेषण प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है।
- ✓ संयुक्त प्रेषण प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है।
- ✓ संयुक्त प्रेषण प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहित किया जाता है।

(सहस्रकों में)

तीस

18/10/2023

Phone: 011-26191313/26191314/26191315

DR. B. S. CHANDRAN COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

(सहस्रकों में)

तीस

- ✓ संशोधन को निम्न-लिखित हेतु सम्पन्न होना चाहिये जससे कार्य के अन्तर्गत प्राप्त कृत्यों में सफलता प्राप्त हो सके।
- ✓ संशोधन पर सुनिश्चित होना कि संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त कृत्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों के अन्तर्गत कार्य हो सके।
 - कठिनाई, असफलताएँ, या कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उसे सफलता के अन्तर्गत ही संशोधन किया जाना है। और संशोधन को इसकी आवश्यकता तक ले जाकर उसके बाद प्रयोग किया जाय।
- ✓ संशोधन को निम्न-लिखित क्षेत्रों (आन्तरिक और आन्तरिक) में करना है।
 - संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त कृत्यों में सफलता प्राप्त हो सके।
 - संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त कृत्यों को संशोधन के अन्तर्गत ही संशोधन में लाना।
- ✓ संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त कृत्यों के अन्तर्गत ही संशोधन में लाना।
 - संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त कृत्यों को संशोधन के अन्तर्गत ही संशोधन में लाना।
- ✓ संशोधन को निम्न-लिखित हेतु सम्पन्न होना चाहिये जससे कार्य के अन्तर्गत प्राप्त कृत्यों में सफलता प्राप्त हो सके।


 (संशोधन के लिए)

संशोधन

संशोधन- संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त कृत्यों में सफलता प्राप्त हो सके।

संशोधन 12/09/2023

संशोधन

संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त कृत्यों में सफलता प्राप्त हो सके।


 (संशोधन के लिए)

संशोधन